न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पाठासीन अधिकारी – मनसुख राम डामोर आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या – 35/2019 वाद
दायर दिनांक – 22/04/2019
निर्णय दिनांक – 18/02/2021

अनवान

1. चेन सिंह पिता मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा
वादी

बनाम

1. भूमिधारक तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रतिवादी

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत स्वत्व घोषणा एवं ईन्द्राज दुरस्ती के प्रस्तुत किया कि ग्राम सुनारिया खेडा पटवार हल्का कोटठी की सीमा में खात 684 की निम्न आराजियात स्थित है। खाता संख्या 684 आराजी संख्या 218, 230, 1219, कुल किता 03 रकबा 20-05 बीघा व खाता संख्या 681 आराजी संख्या 225, 226, 228, 229 कुल किता 04 रकबा 07-04 बीघा की निम्न आराजियात स्थित है। खाता संख्या 681 की जमीन मेरे पिता जी ने खरीद की जो मैं से खरीद की उस समय मुझे घर में सभी गुलाब सिंह के नाम से पुका जिससे गुलाब सिंह पिता मोहन सिह के नाम से राजस्व अभिलेख में हो गया है। बचपन में प्यार से गुलाब सिंह के नाम से पुकारा जाता रहा वास्तव में मेरा नाम चेन सिंह है। जो सभी राजकीय अभिलेख में चेन पिता मोहन सिंह जी के नाम से ही है। पिताजी की मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुई जमीन चेन सिंह पिता मोहन सिंह के नाम से ही अलग खाता राजस्व अभिलेख में अंकन चला आ रहा है। तात्पर्य दोनो खातो की का मे ही खातेदार हूँ किन्तु गुलाब सिंह का खाता में भी चेन सिंह अंकित होना चाहिये । ग्राम सुनियारा खेडा मे गुलाब सिंह पिता मोहन सिंह के नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। मोहन सिंह जी के गुलाब सिंह के नाम का अन्य कोई लडका नही है। मोहन सिंह जी का लडका मैं चेन सिंह ही हूँ, जिससे राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती करवाया जाना आवश्यक हो गया है ! एक ही व्यक्ति की दो नाम से राजस्व अभिलेख में अंकन रह जाने से कानुनी पेचदगिया आ सकती है। जबकि गुलाब सिंह के नाम से इसके अलावा अन्य कोई भी दस्तावेज नही हैं। सभी दस्तावेजात में चेन सिंह पिता

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

मोहन सिंह का अंकन होने से खाता संख्या 681 में नाम दुरुस्ती की घोषणा करवाया जाना आवश्यक हो गया है। अन्यथा वादी को विधिक संबंधी विभिन्न प्रकियाओ से गुजरना पडेगा। कृषि भुमियो से संबंधित मामला होने से नाम की दुरुस्ती करवाये जाने के लिये प्रतिवादीगण ही सक्षम है। प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है । और प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी है! जिनके विरुद्ध दावा करने से पुर्व अंतर्गत धारा 80 जा दी. सुचना पत्र दिये जाने की बाध्यता है। किन्तु मामला आवश्यक प्रकृति का होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा.दी. प्रस्तुत कर बाद अनुमति दावा पेश है। वादग्रस्त जायदाद आप न्यायालय के क्षेत्रान्तर्गत होने से इस वाद का श्रवणाधिकार आप न्यायालय को है।

अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 681 मै वादी का नाम अंकित कराया जाकर गुलाब सिंह के नाम को विलोपित कराया जाये। विकल्प में निवेदन है कि गुलाब सिंह ऊर्फ चेन सिंह का अंकन कराया जावे। वाद व्यय वकिल महन्ताना व समुचित सहायता वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो वह भी दिलाई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने स्वीकारात्मक जवाब पेश किया तथा वादी अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्लयू 1 एवं दस्तावेज जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी एवं राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत का प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी जिसमें वादी का नाम चेनसिंह अंकित है।

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार किया जाकर ग्राम सुनारिया खेडा की आराजी संख्या 218, 230, 1219 व 225, 226, 228, 229 में अंकित वादी का नाम गुलाब सिंह के बजाय गुलाब सिंह उर्फ चेनसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को आदेश दिये जाते है पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा